भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2714

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है।

***

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत निधि का उपयोग

2714. श्री अरविंद सावंत:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के कम उपयोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रस्ताव है कि निधियों का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (घ): गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों को फिर से जीवंत करने के लिए 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम जून, 2014 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को बाद में 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 31 अक्टूबर, 2022 तक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को कुल 13,709.72 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिनमें से 13,046.81 करोड़ रुपये उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एनएमसीजी द्वारा राज्य सरकारों, स्वच्छ गंगा के लिए राज्य मिशनों (एसएमसीजी) और अन्य एजेंसियों को जारी/खर्च किए गए हैं।

निधियों के उचित उपयोग के लिए, एनएमसीजी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) सिस्टम को पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया है। टीएसए सिस्टम "जस्ट इन टाइम" फंड रिलीज सुनिश्चित करता है, जिससे अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों के साथ फंड की पार्किंग की संभावना समाप्त हो जाती है, और इस प्रकार एक अधिक कुशल निधि प्रवाह (फंड फ्लो), साथ ही बेहतर नकद प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) भी होता है। एनएमसीजी से सीधे धन प्राप्त करने वाली सभी पांच एसएमसीजी और ग्यारह एजेंसियों को

भी शामिल किया गया है। एसएमसीजी और एनएमसीजी दोनों के पास अव्ययित शेष राशि काफी कम हो गई है।

नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) के तहत, कुल 406 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 224 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है। परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और आगे निधि के उपयोग में तेजी लाने के लिए, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, महानिदेशक, एनएमसीजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा सभी हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा बैठक करते हैं। परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित करने वाले भूमि अधिग्रहण, जन सुविधाओं (यूटिलिटिज) के स्थानांतरण की अनुमति, रेलवे, एनएचएआई, सड़क काटने वाले विभागों आदि से अनुमति जैसी विभिन्न बाधाओं को भी दूर किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाता है।

*****